जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 09.06.2022

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा महिला से छेडछाड के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 09.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा महिला से छेडछाड के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 09.06.2022 को कांधला क्षेत्रान्तर्गत महिला के साथ छेडछाड करने के संबंध में पीड़िता द्वारा द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कांधला को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. फरमान अंसारी पुत्र खालिद निवासी मौ0 बिजलीघर कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा नकली नोट व नकली नोट बनाने के उपकरण के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय मु0नगर द्वारा सुनाई गई 04 वर्ष के कारावास की सजा, साथ ही 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।</u>

वर्ष 2006 में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रवेज पुत्र इरसाद अली निवासी फलावदा सनौता थाना फलावदा जनपद मेरठ को नकली नोट व नकली नोट बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया था। जिसके संबंध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 1349/06 धारा 489ग,489घ,420 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभि युक्त प्रवेज उपरोक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिए निर्देशित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कोतवाली/ मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 09.06.2022 को माननीय न्यायालय मु0नगर द्वारा अभियुक्त प्रवेज उपरोक्त को 04 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा साथ ही 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्त-</u>

1. प्रवेज पुत्र इरसाद अली निवासी फलावदा सनौता थाना फलावदा जनपद मेरठ।

<u>थाना झिंझाना</u>

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर व टॉप-10 गिरफ्तार , कब्जे से 53.06 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 05 लाख 50 हजार रूपये) बरामदः-</u>

आज दिनांक 09.06 .2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर लक्ष्मीपुरा मोड, गंगोह रोड जंगल ग्राम चौसाना से 53.06 ग्राम अवैध स्मैक सहित थाने के हिस्ट्रीशीटर व टॉप-10 अपराधी को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. भूरा पुत्र हमीद निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. अवैध 53.06 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 05 लाख 50 हजार रूपये)।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-</u>

1. मु0अ0स0 04/2018 धारा 457,308,411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0स0 817/2018 धारा 8/18 NDPS Act थाना झिंझाना जनपद शामली
3. मु0अ0स0 259/2020 धारा 8/21 NDPS Act थाना झिंझाना जनपद शामली
4. मु0अ0स0 393/2020 धारा 3/25 A. Act थाना झिंझाना जनपद शामली
5. मु0अ0स0 394/2020 धारा 414 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली
6. मु0अ0स0 459/2021 धारा 8/21 NDPS Act थाना झिंझाना जनपद शामली
7. मु0अ0स0 253/2022 धारा 8/21 NDPS Act थाना झिंझाना जनपद शामली

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी/ मॉनिटरिंग सेल द्वारा मादक पदार्थ के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त अमजद को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 01 वर्ष के कारावास की सजा, साथ ही 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

वर्ष 2021 में थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित शर्मा उर्फ सन्नी पुत्र स्व0 चन्द्रपाल शर्मा निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 79/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध चरस बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी / मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय ADG/FTC विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोर्ट कैराना शामली में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 09.06.2022 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC द्वारा अभियुक्त अमित शर्मा उर्फ सन्नी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

थाना गढीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 04 सट्टेबाज गिरफ्तार, कब्जे से 104 ताश के पत्ते व 1390/- रुपये बरामद ।

दिनांक 08.06.22 को थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 04 सट्टेबाज अभियुक्त गण 1.सचिन पुत्र विजयपाल 2.शमीम पुत्र सरताज 3.कमल पुत्र राजे 4. सतीश पुत्र अज्ञात निवासीगण गांव गढीअब्दुल्ला खां थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को 104 ताश के पत्ते व 1390/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कांधला

थाना कांधला द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तारः -आज दिनांक 09.06.2022 को थाना कांधला द्वारा 01 वारंटी सचिन उर्फ जुग्नू पुत्र हरपाल निवासी गोब्बापुर थाना मंसुरपुर जिला मु0नगर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा एनबीडब्लू जारी किया था।